कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

क्रमांकः– सहा0/2025/3590 दिनांकः–05 जनवरी,2025

आदेश

मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के आधार पर जिले में शीत लहर एवं बढती हुई ठंड को देखते हुए, जिले मे ठंड के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 09.01.2025 तक, जिले मे संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों मे अध्ययनरत विद्यार्थियों को शीत लहर एवं ठंड के प्रभाव से बचाव एवं विद्यार्थियो के स्वास्थ्य के मद्देनजर विद्यालय मे अवकाश घोषित किया जाना अतिआवश्यक है।

अतः मैं, डॉ0 अमित यादव जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन आपदा प्राधिकरण भरतपुर, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 30 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भरतपुर जिले मे संचालित कक्षा 01 से 08 तक के समस्त सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयो मे अध्ययनरत छात्र–छात्राओ का दिनांक 07.01.2025 से दिनांक 09.01.2025 तक का अवकाश घोषित करता हूं। यह अवकाश केवल छात्र–छात्राओं के लिए लागू रहेगा। शेष स्टाफ यथावत कार्य करता रहेगा। जिले के समस्त संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्था प्रधान निर्धारित समय के दौरान कक्षा संचालन करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जावेगी।

(डॉ0 अमित यादव)
जिला कलक्टर,भरतपुर

क्रमांकः– सहा0/2025/3591–3620 दिनांकः–05 जनवरी,2025

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं–

1. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, संभाग भरतपुर।
2. उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार समस्त जिला भरतपुर।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि जिले में संचालित सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में उक्त आदेश की पालना कराया जाना सुनिश्चित करावें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक मुख्यालय भरतपुर।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समस्त जिला भरतपुर।
6. जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी भरतपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Yadav
Designation : Collector & District Magistrate
Date: 2025.01.05 20:56:40 IST
Reason: Approved

Scanned with OKEN Scanner